

प्रकरण क्र. 110/11 रा. 913

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

श्री
सम

11-17

पडावली पेशा है। कूलाम कनीके उपाधिकार।
कलीम वादी के उपाधिकार होकर कथन किया कि
वादी की हिदायत परवी नहीं होने के कारण किसी
प्रकार की कार्यवाही (क्रिया) जाना उचित नहीं है।
होने के कारण वादी का वाद पड सिद्धांत परवी
नहीं होने के कारण खानीज (क्रिया) जाना पडावली
के कारण सुभार की जाकर वदतन नारिके है।

वादी की कार्यवाही
18/11/17
10/11/17


उपखण्ड अधिकारी
सापटल